<u>न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, न्याय कक्ष संख्या–2, बुलन्दशहर।</u>

सत्र परीक्षण संख्या–1135 सन 2024

राज्य.....बनाम.....रिंकू गिरि।

<u>आदेश</u>

अभियोजन की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता(फौ0) व बचाव पक्ष की ओर से विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हैं। अभियुक्त जिला कारागार से उपस्थित है।

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौ0) ने सत्र परीक्षण के तथ्यों को प्रस्तुत करते हुए, उस साक्ष्य का विवरण दिया जिसे वे सत्र परीक्षण में प्रस्तुत करना चाहते हैं।

मैंने विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौ0) एवं बचाव पक्ष की ओर से विद्वान अधिवक्ता को आरोप के बिन्दु पर सुना एवं पत्रावली व केस डायरी का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि केस डायरी में अभियुक्त रिंकू गिरि के विरूद्ध धारा–302 व 201 भा0दं0सं0 में आरोप विरचित करने हेतु प्रथमदृष्टया पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है। अभियुक्त पर तदनुसार आरोप लगाया गया। अभियुक्त ने आरोप से इन्कार किया और विचारण चाहा।

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौ0) को गवाहान को समन करने हेतु सूची पेश करें। पत्रावली वास्ते साक्ष्य दिनांक– पेश हो।

दिनाँक 10.12.2024

(सुरेश कुमार शर्मा)
अपर सत्र न्यायाधीश
न्याय कक्ष संख्या–2,
बुलन्दशहर।

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, न्याय कक्ष संख्या–2, बुलन्दशहर।

सत्र परीक्षण संख्या–1135 सन 2024

राज्य.....बनाम.....रिंकू गिरि।

आरोप

मैं, सुरेश कुमार शर्मा अपर सत्र न्यायाधीश, न्याय कक्ष संख्या–2 बुलन्दशहर आप अभियुक्त रिंकू गिरि को निम्न आरोप से आरोपित करता हूँ :–

1. यह कि दिनांक–29.1.2024 को समय अदम तहरीर बहद स्थान आपका घर स्थित ग्राम त्यौरी थाना पहासू, जिला बुलन्दशहर में आपने अपनी पत्नी प्रिया गिरि की हत्या कारित की। इस प्रकार आपने ऐसा अपराध कारित किया जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

2. यह कि उपरोक्त दिनाँक को किसी समय आपके द्वारा मृतका प्रिया गिरि की हत्या का साक्ष्य विलोपन करने के आशय से मृतका प्रिया गिरि के शव का अन्तिम संस्कार कर दिया गया। इस प्रकार आपने ऐसा अपराध कारित किया जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 201 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

अतएव एतद्द्वारा आपको निर्देश दिया जाता है कि उक्त आरोपों में आपका विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

दिनाँक 10.12.2024

(सुरेश कुमार शर्मा)
अपर सत्र न्यायाधीश
न्याय कक्ष संख्या–2,
बुलन्दशहर।

उपर्युक्त आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाये व समझाये गये, जिससे कि अभियुक्त ने इंकार किया तथा परीक्षण की माँग की।

दिनाँक 10.12.2024

(सुरेश कुमार शर्मा)
अपर सत्र न्यायाधीश
न्याय कक्ष संख्या–2,
बुलन्दशहर।

<u>न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, न्याय कक्ष संख्या–2, बुलन्दशहर।</u>

सत्र परीक्षण संख्या–1135 सन 2024

राज्य.....बनाम.....रिंकू गिरि।

<u>दिनॉक–10.12.2024</u>

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर अभियुक्त रिंकू गिरि जेरे हिरासत जिला कारागार से उपस्थित आया। अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता(फौ0) को प्रार्थना पत्र 6बी पर सुना गया।

<u>निस्तारण प्रार्थना पत्र 6बी</u>

1. अभियुक्त रिंकू गिरि की ओर से प्रार्थना पत्र 6बी अन्तर्गत धारा–250 बी0एन0एस0एस0 इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि वह निर्दोष है और उसने कोई अपराध नहीं किया है। वह मृतका का पति है तथा उसके दो बच्चे हैं तथा उसके विवाह को 16 वर्ष हो चुके हैं। मृतका एवं प्रार्थी के मध्य कभी भी कोई मुकदमा पूर्व में नहीं रहा है। घ ाटना वाले दिन उसके द्वारा मृतका को तुरन्त ही ईलाज के लिये पृथ्वीराज हॉस्पिटल अलीगढ़ ले जाकर इलाज कराया गया तथा डाक्टर द्वारा उच्च संस्था में रेफर करने पर दिल्ली लेकर निकला किन्तु रास्ते में ही उसकी मृत्यु हो गयी। प्रथम सूचना रिपोर्ट दो दिन विलम्ब से दर्ज करायी गयी हैं। मृतका की बहन जो कि फरूखाबाद में रहती है, वह मृतका के अन्तिम संस्कार में शामिल हुई एवं दो दिन तक प्रार्थी के परिवारवालों पर दस लाख रूपये नकद व आधी जमीन जायदाद का बैनामा प्रार्थी के बच्चों के नाम करने का दबाव बनाया और दोनों बच्चों को अपने साथ ले गयी। अभियुक्त द्वारा स्वयं ही वादिया को अपनी पत्नी के ईलाज हेतु अलीगढ़ ले जाते समय फोन पर सूचना दी गयी है। वादिया द्वारा कथित घटना वाले दिन प्रार्थी से फोन पर दूसरी बार एवं तीसरी बार बातचीत होने का कोई साक्ष्य संकलित नहीं है, जो कि स्पष्ट करता है कि वादिया द्वारा मनगढ़न्त घटनाक्रम तैयार किया गया है। पत्रावली पर कोई वैधानिक साक्ष्य नहीं है। इन कथनों के आधार पर याचना की गयी है कि अभियुक्त को उन्मोचित किया जाये।

2. विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौ0) द्वारा प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए कथन किया गया है कि केस डायरी में अभियुक्त के विरूद्ध धारा–302 व 201 भा0दं0सं0 का आरोप विरचित करने हेतु पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है। अतः अभियुक्त का प्रार्थना पत्र निरस्त कर उसके विरूद्ध आरोप विरचित किये जायें।

3. **धारा–250 बी0एन0एस0एस के अनुसार–उन्मोचन–**

(1) यदि अभियुक्त धारा–232 के अधीन सुपुर्दगी की तारीख से साठ दिवस की अवधि के भीतर उन्मोचन के लिये आवेदन कर सकेगा।

(2) यदि मामले के अभिलेख और उसके साथ दी गयी दस्तावेजो पर विचार कर लेने पर; और इस निमित्त अभियुक्त और अभियोजन के निवेदन की

सुनवाई कर लेने के पश्चात् न्यायाधीश यह समझता है कि अभियुक्त के विरूद्ध कार्यवाही करने के लिये पर्याप्त आधार नहीं है, तो वह अभियुक्त को उन्मोचित कर देगा और ऐसा करने के लिये अपने कारणों को लेखबद्ध करेगा।

4. पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि उक्त मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बुलन्दशहर द्वारा पारित सत्र सुपुर्दगी आदेश दिनॉकित–24.7.2024 द्वारा उक्त वाद को सत्र सुपुर्द किया गया है, जबकि अभियुक्त द्वारा उक्त उन्मोचन प्रार्थना पत्र दिनॉक–26.9.2024 को निर्धारित 60 दिवस की समयावधि के पश्चात प्रस्तुत किया गया है।

5. उल्लेखनीय है कि आरोप विरचन के स्तर पर न्यायालय को मात्र यह देखना होता है कि केस डायरी में प्रथम दृष्टया पर्याप्त साक्ष्य अभियुक्त के विरूद्ध आरोप विरचित करने के लिये है अथवा नहीं। केस डायरी के अवलोकन से विदित होता है कि वादिया तथा अन्य स्वतन्त्र साक्षीगण द्वारा अभियुक्त रिंकू गिरि द्वारा अपनी पत्नी मृतका प्रिया की हत्या करने के पश्चात हत्या के अपराध के साक्ष्य का विलोपन करने के उददेश्य से मृतका प्रिया के शव का अन्तिम संस्कार कर दिये जाने के सम्बन्ध में साक्ष्य दिया गया है। ऐसी स्थिति में अभियुक्त रिन्कू गिरि के विरूद्ध प्रस्तुत प्रकरण में धारा–302 व 201 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत आरोप विरचन किये जाने हेतु प्रथम दृष्टया पर्याप्त साक्ष्य केस डायरी में उपलब्ध है। तद्नुसार अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 6बी निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त रिंकू गिरि की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 6बी निरस्त किया जाता है। पत्रावली लंच बाद आरोप विरचन हेतु पेश हो।

दिनाँक 10.12.2024

(सुरेश कुमार शर्मा)
अपर सत्र न्यायाधीश
न्याय कक्ष संख्या–2,
बुलन्दशहर।